

### प्रेस नोट दिनांक -19.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा हाइवे पर सवारियों के साथ लूट/ छिनैती/ चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय लूट/ छिनैती/ सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 07 सदस्यों (05 पुरुष व 02 महिला ) को घटना में प्रयुक्त 02 कार, लूटे हुए आभूषण व 52434 रुपए नगद सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा हाइवे पर सवारियों के साथ लूट/ छिनैती/ चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय लूट/ छिनैती/ सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 07 सदस्यों ( 05 पुरुष व 02 महिला ) को घटना में प्रयुक्त 02 कार, आभूषण ( कुल बरामदगी अनुमानित कीमत 20 लाख), 230 ग्राम नशीला पदार्थ व 52434 रुपए नगद सहित गिरफ्तार किया गया ।

#### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.02.2021 को थाना सिविल लाइन पर वादिया रुबी पत्नी सुनील कुमार यादव निवासी 28 बटालियन पीएसी गेट न0-02 के सामने थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा द्वारा सूचना दी गयी कि वह दिनांक 06.01.2021 को आगरा जाने के लिए आईटीआई चौराहा पर खड़ी थी तभी एक बुलेरो गाड़ी संख्या यूपी 81 वाई 4782 मेरे पास आकर रुकी जिसमें पहले से 03 पुरुष व महिलायें बैठी हुयी थीं । गाड़ी चालक द्वारा मुझे बताया कि ये सभी सवारियाँ आगरा की है चालक की बात पर विश्वास कर मैं उस गाड़ी में बैठ गयी । मुझे उन लोगो ने सिरसागंज पर गाड़ी से यह कह कर उतार दिया की गाड़ी में कुछ खराबी हो गयी है तो मैं गाड़ी से उतर गयी ,जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी वे सभी लोग गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग गये थे। मेने गाड़ी से उतरने के बाद अपना सामान चैक किया तो मेरे पर्स से एक सोने की चैन पीली धातु ,दो जोड़ी कानो के टॉप्स,तीन जोड़ी पायल,05 हजार रुपए चोरी कर लिए गए थे जिसके संबंध में वादिया की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0स0 59/21 धारा 379,420 भादवि अभियोग बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व मे चोरी की घटना का शीघ्र सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी टीम व थाना सिविल लाइन से दो टीमों का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में दिनांक 18.05.2021 को पुलिस टीम द्वारा नुमाइश चौराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0स0 59/21 से संबंधित बदमाश दो गाड़ियों में ग्वालियर की तरफ से आ रहे हैं जो किसी लूट/ चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं । सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए तत्काल भदावरी भैंस जमुनापारी प्रजनन केन्द्र के पास सघनता से चैकिंग की जाने लगी तभी पुलिस टीम को दो गाड़ियां भिंड की ओर से आती हुयी दिखायी दी जिनकी ओर मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि यही वो गाड़ियां है पुलिस टीम द्वारा उक्त गाड़ियों को रोकने का इशारा किया गया तो गाड़ी चालकों द्वारा गाड़ियों को पीछे ओर मोड़ कर भागने का प्रयास किया जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर 07 अभियुक्तों (05 पुरुष व 02 महिला) को गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस टीम

द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से नामपता पूछते हुए उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से आभूषण, नगदी व नशीला पदार्थ बरामद किया गया । बरामद गाड़ियों के जरूरी प्रपत्र मांगने पर अभियुक्तगणों द्वारा पत्र दिखाने में असमर्थता जाहिर की गयी । जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर एमवी एक्ट की धारा 207 की कार्यवाही करते हुए उन्हें सीज किया गया है ।

### **पुलिस पूछताछ-**

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद माल के संबंध में बताया गया कि हम लोग 30प्र0 के हाइवे के किनारे वाले जनपदों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भिंड व ग्वालियर जनपदों से बरामद गाड़ियों में सवारियों को बैठाकर उनके साथ सामान की चोरी/ लूट करते हैं। हम लोग सवारियों के रूप में व्यक्तियों को बैठाकर उनको विश्वास में लेकर इसी का फायदा उठाकर हम लोग उनके साथ चोरी/ छिनैती एवं लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर उन्हें रास्ते में उतार देते थे ।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा जनपद में की गयी घटनाओं का खुलासा किया जो कि निम्नवत है -

1.अभियुक्तों द्वारा बताया कि दिनांक 30.12.2020 को आईटीआई चौराहा से एक महिला को आगरा कैन्ट के लिए बैठाया था जिसका हम लोगो द्वारा पर्स चोरी कर लिया गया था जिसमें से कुछ जेवरात को हम लोगो द्वारा बेच दिया था एवं कुछ जेवरात पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है । जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0स0 59/21 धारा 379,420 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था।

2.गिरफ्तार अभियुक्त महेश, अजय, नितिन द्वारा बताया कि हम लोगो के द्वारा दिनांक 25.02.2021 को भरथना चौराहा जनपद इटावा में ऑटो में बैठे एक व्यक्ति की जेब काटकर 71000 रुपए निकाल लिए । जिसके संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर मु0अ0स0 69/21 धारा 379,411 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में पूर्व में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग 59/2021 धारा 379,420 में धारा 411 की बढोत्तरी की गयी है ।

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 59/21 धारा 379,420,411 भादवि थाना सिविल लाइन।
2. मु0अ0स0 156/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम महेश कुमार ।
3. मु0अ0स0 157/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अजय कुमार

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1- कपिल जाटव पुत्र पवन जाटव ग्राम खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2- अजय जाटव पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3- महेश जाटव पुत्र रामप्रसाद जाटव निवासी ग्राम खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4- नितिन जाटव पुत्र सत्यवीर जाटव निवासी बक्सर जनपद बुलंदशहर।
- 5- बाबर पुत्र सलीम निवासी ग्राम अगोरा थाना खुर्जा जनपद बुलंदशहर।
- 6- कविता पत्नी नितिन निवासी बक्सर जनपद बुलंदशहर।
- 7- बब्बो पत्नी महेश निवासी खतौली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

**बरामदगी-**

- 1.01 ईको कार संख्या HR-10S-7324
- 2.01 बुलेरो कार UP-81Y-4782 ( घटना में प्रयुक्त)
- 3.01 गले का हार (पीली धातु)
- 4.01 चैन (पीली धातु )
- 5.02 कान की बाली (पीली धातु)
- 6.02 ब्रेस लेट (सफेद धातु)
- 7.01 करधनी (सफेद धातु)
- 8.01 गले का हार (सफेद धातु)
- 9.08 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- 10.03 अंगूठी(सफेद धातु)
- 11.13 बिछुआ(सफेद धातु)
- 12.01 कलाई घड़ी ( सोनाटा कम्पनी)
- 13.01 सूटकेश खोलने वाली मास्टर चाबी
- 14.52434 रुपए नगद

**पुलिस टीम-**

**प्रथम टीम-** श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी एसओजी इटावा,श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम  
**द्वितीय टीम-** श्री श्यामवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन इटावा मय टीम।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा ।